DAINIK SAVERA, Panipat, 10.7.2021
Page No. 6, Size:(18.86)cms X (17.21)cms.

पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र के साथ 'खेला'

आपराधिक मानसिकता से ग्रस्त जो लोग मार्क्सवादी केंचुली पहनकर घूमते थे, वे रातोंरात तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्त्ता और स्थानीय नेता बन गए।

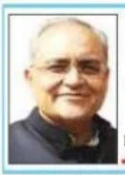

बलबीर पुंज
पूर्व राज्यसभा सांसद
एवं पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
(भारतीय जनता पार्टी)
punjbalbir@gmail.com

पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा का रूप वीभत्स है। यह कलकत्ता उच्च न्यायालय की टिप्पणी से पुनः स्पष्ट हो गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) द्वारा सौंपी गई प्रारंभिक रिपोर्ट पर अदालत ने 2 जुलाई को सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, 'प्रथम दृष्टया स्थापित होता है कि प.बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा हुई थी, जबकि राज्य सरकार इससे इन्कार करती रही। हिंसा में कई लोग मारे गए।

कई लोगों को यौन हिंसा और गंभीर चोटों का सामना करना पड़ा। यहां तक कि नाबालिग बच्चियों को भी नहीं बख्शा गया, उनका भी क्रूरता से यौन शोषण किया गया है। संपत्तियों को नुक्सान पहुंचाया। लोगों को पड़ोसी राज्यों में पलायन हेतु मजबूर होना पड़ा।' विधानसभा चुनाव के समय प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 'लोकतंत्र बचाने' के नाम पर 'खेला होबे' का नारा दिया था। क्या इस नारे का वास्तविक तात्पर्य चुनाव-परिणाम के बाद विरोधियों को सबक सिखाने से था? 2 मई के बाद से बंगाल में जो कुछ हो रहा है- क्या उसका संकेत मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा नंदीग्राम में 29 मार्च 2021 को दिए उस वक्तव्य में छिपा है, जिसमें उन्होंने कहा था, '...आने वाले दिनों में हम ही रहेंगे, तो देख लेंगे...।' प.बंगाल की स्थिति कितनी गंभीर है, यह जांच में विघन डालने से स्पष्ट है। जब अदालती निर्देश पर एन.एच.आर.सी. का एक दल 29 जून को जादवपुर पहुंचा था, तब उन पर हमले का प्रयास हुआ। यहां दल को एक क्षेत्र में 40 से अधिक मकान क्षतिग्रस्त मिले हैं, जहां अब कोई नहीं रहता हैं। एक अंग्रेजी समाचारपत्र में प्रकाशित खबर के अनुसार, एन.एच.आर.सी. की प्रारंभिक रिपोर्ट में हिंसा में 41 निरपराधों की हत्या और 13 महिलाओं के बलात्कार का उल्लेख है। अदालत ने राज्य पुलिस को हिंसा के सभी मामलों को दर्ज करने का निर्देश दिया है। बकौल जांचदल सदस्य और एन.एच.आर.सी. उपाध्यक्ष आतिफ रशीद, प्रदेश में जितनी हिंसा हुई है, उसके सर्वाधिक शिकार दलित हैं। विडंबना है कि इसपर वह संगठन-दल चुप है, जो अक्सर संविधान निर्माता डा. भीमराव रामजी अंबेडकर के नाम पर अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति करने में व्यस्त रहते हैं। क्या ऐसे संगठनों-दलों की इन दलितों से इसलिए सहानुभूति नहीं है, क्योंकि उन्होंने लोकतंत्र में अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए भाजपा को वोट दिया था? बात केवल एन.एच.आर.सी. तक सीमित नहीं है। सिक्किम के पूर्व मुख्य न्यायाधीश प्रमोद कोहली के नेतृत्व में पांच सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने प.बंगाल का दौरा करने के बाद अपनी रिपोर्ट केंद्रीय गृहराज्य मंत्री जी. किशन रेड्डी को सौंपी थी। उसके अनुसार, चुनाव के बाद सुनियोजित ढंग से रोहिंग्याओं और बंगलादेशी घुसपैठियों की मदद से हिंसा को अंजाम दिया गया। उनकी रिपोर्ट में 15 हजार हिंसक घटनाओं में 25 मौत और लगभग 200 महिलाओं से बलात्कार का उल्लेख है। बकौल फैक्ट फाइंडिंग कमेटी रिपोर्ट, हिंसा के कारण लोग अपने घरों को छोड़कर असम, ओडिशा और झारखंड में रहने को मजबूर है। पलायन कर चुके लोगों को उनके घर पर वापस नहीं आने दिया जा रहा है।

इससे कई जिलों में एक मजहब विशेष के लोगों की संख्या एकाएक अधिक हो गई है। इससे पहले बुद्धिजीवियों-शिक्षाविदों के अन्य एक संगठन ने भी अपनी 2021 में बंगाल में खेला नामक रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपी थी। भले ही ममता सरकार प्रदेश में किसी भी 'राजनीतिक हिंसा' से इन्कार कर रही हों, किंतु उनके दावों की पोल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की रिपोर्ट खोल देती है। उसके अनुसार, 10 जून तक हिंसा संबंधित 3,243 शिकायतों को पुलिस अधीक्षकों और थानों को भेजी गई थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित एन.एच.आर.सी. की जांच रोकने के प्रयास हेतु दाखिल पुनर्विचार याचिका भी तृणमूल सरकार की बौखलाहट का प्रतीक है।

हिंसा को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ कई अवसरों पर अपनी चिंता व्यक्त कर चुके है। उनके अनुसार, 'यह हिंसा मानवता को शर्मसार कर रही है। राज्य पुलिस बर्बरता में शामिल लोगों को प्रोत्साहित कर रही है। ये सब लोकतंत्र में वोट देने की हिम्मत करने वाले विरोधियों को सजा और अनुशासित करने के लिए किया जा रहा है।' प.बंगाल के राजनीतिक रक्तपात पर समाज

का वह वर्ग (उदारवादी-प्रगतिशील सहित) भी चुप है, जो अक्सर भीड़ द्वारा किसी की हत्या पर 'असहिष्णुता' का राग अलापते देखे जाते है- अखलाक-जुनैद हत्याकांड इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। संभवतः यह कुनबा बंगाल की राजनीतिक हिंसा पर इसलिए मौन है, क्योंकि उनके नैरेटिव में शायद भाजपा-राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आर.एस.एस.) समर्थक पर हमला, उनकी हत्या या उनसे दुष्कर्म-लोकतंत्र को 'सुरक्षित-मजबूत' करता है।

आखिर प. बंगाल का राजनीतिक चरित्र-हिंसा और वैचारिक असहिष्णुता से क्यों भरा हुआ है? स्वतंत्र भारत में चुनाव के समय बहुत थोड़ी मात्रा में हिंसा की खबरें आती रही हैं। किंतु प.बंगाल के साथ केरल का इतिहास चुनाव और सामान्य दिनों में 'राजनीतिक रक्तपात', 'दूसरे विचार के प्रति असहिष्णु' और 'विरोधियों को शत्रु मानने' संबंधित चिंतन के कारण सर्वाधिक दागदार है। इस विकृति की जड़ें वामपंथी दर्शन में मिलती है, जो वर्षों पहले इन दोनों राज्यों के जीवन में इतना भीतर तक रिस चुका है कि शेष भारत की भांति यहां 'राजनीतिक संवाद' के बजाय विरोधी की हत्या 'पसंदीदा उपक्रम' बन गया है। मार्क्सवादी राजनीति के केंद्रबिंदु में हिंसा है। दशकों पहले वामपंथियों ने योजनाबद्ध तरीके से केरल-प.बंगाल में स्थानीय गुंडों और अराजक तत्वों को संरक्षण दिया और फिर उन्हीं के माध्यम से दोनों प्रदेश में आर.एस.एस., भाजपा सहित अन्य राष्ट्रवादी संगठनों और उसके कार्यकर्ताओं को नियंत्रित या प्रताड़ित करना प्रारंभ कर दिया। तब से लेकर केरल और प.बंगाल में राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ हिंसक गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है। राजनीतिक हिंसा की भयावहता का अनुमान इस बात से लगा सकते है कि प.बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने स्वीकार किया था कि 1977-96 के बीच 28 हजार से अधिक राजनीतिक हत्याएं हुई थी। सच तो यह है कि अधिकांश विरोधियों की हत्या विचारधारा के नाम पर हुई है, जो प.बंगाल में वामपंथियों के हाशिए पर चले जाने के बाद भी जारी है। वामपंथियों की 34 वर्षीय वैचारिक-राजनीतिक असहिष्णुता से छुटकारा पाने हेतु प.बंगाल की जनता वर्ष 2011 से लगातार तृणमूल कांग्रेस पर विश्वास कर रही है। प्रारंभ में लोगों को प.बंगाल की स्थिति में परिवर्तन की आशा थी कि वामपंथियों से मुक्ति के बाद प्रदेश में गुंडों के बजाय कानून-लोकतंत्र का शासन होगा, परंतु 10 वर्षों में यह स्थिति पहले अधिक रक्तरंजित और हिंदू विरोधी हो गई। ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि वामपंथी शासन में जो आपराधिक मानसिकता से ग्रस्त लोग मार्क्सवादी केंचुली पहनकर घूमा करते थे, वे रातोंरात तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्त्ता और स्थानीय नेता बन गए और उन्होंने विरोधियों को मौत के घाट उतारना जारी रखा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) के अनुसार, वर्ष 2015 में प. बंगाल में राजनीतिक कारणों से 184 लोगों की हत्या हुई थी, वह 2016 में बढ़कर 205 हो गई। आरोप है कि चुनाव से पहले भी प्रदेश में 100 से अधिक भाजपा/आर.एस.एस. समर्थकों की हत्या हो चुकी है। मुझे कोई संदेह नहीं कि यदि इस बार भाजपा प. बंगाल में सत्तासीन होती, तो वह काडर भाजपा का झंडा थामकर पार्टी के सनातनी-राष्ट्रवादी चरित्र के प्रतिकूल और वामपंथ जनित हिंसक-असहिष्णु आचरण के अनुकूल ही बर्ताव करता। यदि कुछ अपवादों को छोड़कर भारत के राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में बहुलतावाद अनादिकाल से जीवंत और अक्षुण्ण है, तो इसका श्रेय इस भूखंड के हिंदू चरित्र और सनातन चिंतन, जिसे हम 'हिंदुत्व' नाम से भी परिभाषित करते है-उसे जाता है।

1947 में देश का विभाजन इस्लाम के आधार पर हुआ था। कोई आश्चर्य नहीं कि तब पाकिस्तान ने स्वयं को इस्लामी राष्ट्र घोषित कर लिया, तो हिंदू बहुल शेष भारत ने अपनी मूल परंपरा के अनुसार, संविधान में पंथनिरपेक्ष व्यवस्था को अंगीकार किया। स्पष्ट है कि जहां-जहां हिंदू परंपराओं-मूल्यों का ह्रास हुआ, वहां बहुलतावाद-लोकतंत्र या तो सिकुड़ गया या फिर समाप्त हो गया। पाकिस्तान और कश्मीर-इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इस दिशा में अब प. बंगाल को धकेला जा रहा है।

NHRC issues show-cause notice to Bihar Chief Secy over due compensation to kin of slain journalist

https://www.aninews.in/news/national/general-news/nhrc-issues-show-cause-notice-to-bihar-chief-secy-over-due-compensation-to-kin-of-slain-journalist20210710015920

The National Human Rights Commission (NHRC) has issued a show-cause notice to the Bihar Chief Secretary as to why an amount of three lakh rupees compensation is not being paid to the next of the kith and kin of the slain journalist. The NHRC asked the Bihar government to apprise it within six weeks, as to whether it had taken any measure financially or not in the case. Acting on the petition filed by renowned rights activist and Supreme Court lawyer, Radhakanta Tripathy, the NHRC passed the order. The petitioner, Tripathy, alleged the murder of Rajdev Ranjan, a Reporter in Siwan District of Bihar was an attempt to suppress the freedom of speech and expression. Tripathy, who also fought the case of murder of senior journalist KJ Singh and his aged mother on September 23, 2017, in their residence in Mohali, Chandigarh in the NHRC, further stated that the working journalist must be protected and their safety and security must be ensured by the State, he added.

Requesting the NHRC to thoroughly investigate the matter, Tripathy sought for implementation of the whistleblower Protection Act in the state and heavy compensation to the family members of the slain journalist. Pursuant to the direction of the NHRC, the State in its report submitted that the investigation of the case of Police station, Siwan Town by the CBI has ended in the submission of charge sheet against the accused persons under Section of 120-B (Criminal Conspiracy) and 302 (Murder) of the Indian Penal Code (IPC) and 27 of the Arms Act and the matter is sub-judice before the competent court of law, Tripathy said. As per the report of the Superintendent of Police, Siwan, payment of monetary compensation to the next of kin of the deceased is to be declared and paid by the State Government. The record however does not show any document so as to confirm payment of any compensation to the next of kin of the deceased till date, Tripathy said. The Commission finds it a fit case for grant of compensation to the next of kin of the deceased for the violation of his human rights as established from the investigation by the CBI which has resulted in filing charge sheet against the accused persons before the Court, Tripathy said. The Commission issued a notice under Section 18 of the Protection of Human Rights Act 1993 to the Chief Secretary, Bihar to show cause as to why the Commission should not grant a monetary relief of Rs 3,00,000 to the family members of the deceased, Rajdev Ranjan, within six weeks positively failing which the Commission shall presume that the State government has no objection in the grant of said compensation and the Commission shall proceed accordingly. (ANI)

NHRC issues show-cause notice to Bihar Chief Secy over due compensation to kin of slain journalist

https://english.lokmat.com/national/nhrc-issues-show-cause-notice-to-bihar-chief-secy-over-due-compensation-to-kin-of-slain-journalist/

The National Human Rights Commission (NHRC) has issued a show-cause notice to the Bihar Chief Secretary as to why an amount of three lakh rupees compensation is not being paid to the next of the kith and kin of the slain journalist. The NHRC asked the Bihar government to apprise it within six weeks, as to whether it had taken any measure financially or not in the case. Acting on the petition filed by renowned rights activist and Supreme Court lawyer, Radhakanta Tripathy, the NHRC passed the order. The petitioner, Tripathy, alleged the murder of Rajdev Ranjan, a Reporter in Siwan District of Bihar was an attempt to suppress the freedom of speech and expression. Tripathy, who also fought the case of murder of senior journalist KJ Singh and his aged mother on September 23, 2017, in their residence in Mohali, Chandigarh in the NHRC, further stated that the working journalist must be protected and their safety and security must be ensured by the State, he added.

Requesting the NHRC to thoroughly investigate the matter, Tripathy sought for implementation of the whistleblower Protection Act in the state and heavy compensation to the family members of the slain journalist. Pursuant to the direction of the NHRC, the State in its report submitted that the investigation of the case of Police station, Siwan Town by the CBI has ended in the submission of charge sheet against the accused persons under Section of 120-B (Criminal Conspiracy) and 302 (Murder) of the Indian Penal Code (IPC) and 27 of the Arms Act and the matter is sub-judice before the competent court of law, Tripathy said. As per the report of the Superintendent of Police, Siwan, payment of monetary compensation to the next of kin of the deceased is to be declared and paid by the State Government. The record however does not show any document so as to confirm payment of any compensation to the next of kin of the deceased till date, Tripathy said. The Commission finds it a fit case for grant of compensation to the next of kin of the deceased for the violation of his human rights as established from the investigation by the CBI which has resulted in filing charge sheet against the accused persons before the Court, Tripathy said. The Commission issued a notice under Section 18 of the Protection of Human Rights Act 1993 to the Chief Secretary, Bihar to show cause as to why the Commission should not grant a monetary relief of Rs 3,00,000 to the family members of the deceased, Rajdev Ranjan, within six weeks positively failing which the Commission shall presume that the State government has no objection in the grant of said compensation and the Commission shall proceed accordingly. (ANI)

ममता राज में जो हो रहा उसे देखकर यही लगता है कि बंगाल और कश्मीर के बीच का अंतर मिटता जा रहा

https://www.jagran.com/editorial/apnibaat-bengal-politics-bengal-going-out-of-control-jagran-special-21814331.html

विधानसभा चुनाव के बाद बंगाल में जो हुआ या अभी भी हो रहा है, वैसा स्वतंत्र भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। क्या इससे पहले किसी मुख्यमंत्री ने इस देश के गृह मंत्री को सार्वजनिक रूप से गुंडा कहा? बिल्कुल नहीं, किंतु ममता ने ऐसा कहा। इससे पहले ममता ने 2016 में कोलकाता में सेना के अभ्यास पर सख्त एतराज जताया था। उससे लगा कि उनमें या तो अलगाववादी प्रवृत्ति उभर रही है या फिर मोदी सरकार के विरोध में उन्होंने अपना मानसिक संतुलन ही खो दिया है।

ममता ने आरोप लगाया था कि सेना हमारी सरकार को अपदस्थ करना चाहती है। याद रहे कि तब कोलकाता के टोल प्लाजा पर सेना की तैनाती हुई थी। सेना ने कहा था कि हमारे लोग सिर्फ कोलकाता में ही नहीं, बल्कि देश के कुल नौ राज्यों के 80 स्थानों में ऐसा अभ्यास कर रहे हैं। तत्कालीन रक्षा मंत्री के अनुसार इसकी सूचना बंगाल पुलिस को दे दी गई थी। कालांतर में भी ममता केंद्र और उसकी संस्थाओं से टकराव पर आमादा रही हैं। उन्होंने तमाम केंद्रीय योजनाओं को बंगाल में लागू करने से भी परहेज किया है।

कई बार तो ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी को इस देश की न्यायपालिका में भी विश्वास नहीं। अदालती आदेश पर सीबीआइ सारदा और रोज वैली पोंजी घोटालों की जांच कर रही है। इस संबंध में पूछताछ के लिए सीबीआइ कोलकाता पुलिस आयुक्त के आवास पर पहुंची तो सीबीआइ टीम के साथ ही बदसुलूकी हुई। उस पूरे अभियान की कमान भी ममता ने ही संभाली हुई थी। वह सीबीआइ के खिलाफ धरने पर बैठ गईं। क्या आपने इससे पहले कभी किसी मुख्यमंत्री को एक आरोपी अफसर के पक्ष में धरने पर बैठने के बारे में देखा-सुना था? प्रधानमंत्री मोदी जब चक्रवात प्रभावित बंगाल में राहत के लिए अहम बैठक के लिए पहुंचे तो ममता ने न केवल खुद उस बैठक से कन्नी काटी, बल्कि अपने मुख्य सचिव को भी उसमें शामिल नहीं होने दिया।

ममता सरकार और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विपक्ष विशेषकर भाजपा के खिलाफ जैसी निर्ममता की उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। बंगाल में केंद्रीय मंत्रियों तक के साथ र्दुव्यवहार किया गया। चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान और चुनाव बाद बंगाल के हालात देखकर तो यही लगता है कि बंगाल और कश्मीर के बीच अंतर मिटता जा रहा है। हालात इतने भयावह हो गए कि राज्य में भाजपा समर्थकों को अपनी जान बचाने के लिए पड़ोसी राज्यों में शरण लेनी पड़ी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार

आयोग को इस राज्य प्रायोजित ¨हसा की पड़ताल का निर्देश दिया। हद तो तब हो गई जब जांच के लिए गई आयोग की टीम को भी हमलों का शिकार होना पड़ा।

जो इलाके बर्फ से ढके-छिपे रहते थे, अब वहां भी प्रचंड गर्मी अपना असर दिखा रही है। फाइल
बार-बार प्रचंड गर्मी का रूप दिखाता मौसम, हमारी हरकतों से बढ़ रहा धरती का तापमान
यह भी पढ़ें
कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगाल पुलिस को निर्देश दिया है कि वह चुनावी ¨हसा के सभी पीड़ितों के केस दर्ज करे। देखना है कि बंगाल पुलिस अदालती आदेश का पालन करके पीड़ितों को न्याय दिलाती है या नहीं? राज्य के मुख्य विपक्षी दल के प्रति शत्रुवत व्यवहार लोकतंत्र के लिए बहुत शर्मनाक है। इस परिदृश्य को देखते हुए यही लगता है कि भविष्य में जब केंद्र सरकार बंगाल में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए और एनआरसी लागू करने की कोशिश करेगी तो बंगाल में अभूतपूर्व ¨हसा देखने को मिल सकती है। इन मुद्दों पर ममता का विरोध इस तथ्य के बावजूद है कि 2005 में उन्होंने ही लोकसभा में अवैध घुसपैठियों का मुद्दा उठाया था। तब राज्य में वाम सरकार थी, जो घुसपैठियों को संरक्षण दे रही थी। अब स्थिति बदल गई है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के एकमुश्त वोट चूंकि ममता की पार्टी को मिलने लगे हैं इसलिए उनका रवैया बदल गया है। ममता अब कह रही हैं कि अगर बंगाल में सीएए और एनआरसी लागू हुआ तो राज्य में खून की नदियां बहेंगी। बंगाल विधानसभा चुनाव में मुस्लिम मतों की अभूतपूर्व एकजुटता का एक बड़ा कारण यह भी रहा। केरल में भी इस बार ऐसी ही एकजुटता दिखी। केरल के मार्क्सवादी मुख्यमंत्री पी. विजयन ने कहा है कि वह सीएए और एनआरसी लागू नहीं करेंगे। इन मुख्यमंत्रियों के ऐसे दावे पूरी तरह भ्रामक ही हैं, क्योंकि नागरिकता का मसला राज्यों के क्षेत्रधिकार में आता ही नहीं है।

घुसपैठ की समस्या पर 1992 में केंद्र सरकार ने संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई थी। बैठक में बंगाल से मुख्यमंत्री ज्योति बसु और बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद शामिल हुए थे। तब तय हुआ था कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ समन्वित कार्रवाई की जाएगी। उन दिनों बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या करीब 50 लाख थी, जिसके अब करीब एक करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। तृणमूल कांग्रेस ने अभूतपूर्व ढंग से अल्पसंख्यक मतदाताओं के बीच अतिवादियों का जमकर तुष्टीकरण किया है। बंगाल में सत्ता में आने के बाद ममता ने राज्य के 35 हजार इमामों के लिए हर माह 2500 रुपये मानदेय का प्रविधान किया। उनकी सरकार ने उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया। इसके अलावा भूमिहीन-गृहविहीन इमामों के लिए जमीन देने की घोषणा की और 10 हजार मदरसों को सरकार से संबद्ध किया। तृणमूल

कांग्रेस ने प्रतिबंधित संगठन सिमी के नेता रहे एक व्यक्ति को राज्यसभा का सदस्य भी बनवाया। वहीं दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के समय ममता सरकार ने विवादास्पद रुख अपना लिया।

2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद तो ममता बनर्जी ने वे सभी काम किए और बयान दिए जो मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ जाते हों, ताकि बंगाल के अल्पसंख्यक मतदाताओं की तृणमूल कांग्रेस के साथ एकजुटता मजबूत हो। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने हालिया चुनाव नतीजों के बाद कहा कि हमारे समर्थक मुसलमानों ने तृणमूल कांग्रेस को वोट दे दिए। माकपा ने भी अपने मतदाताओं को तृणमूल के पाले में भेज दिया। एक मजबूत वोट बैंक की ताकत से लैस ममता केंद्र सरकार से दो-दो हाथ करने पर अमादा है। शेष भारत के लोग बंगाल में केंद्र सरकार को इस तरह असहाय देखकर इंदिरा गांधी को याद करने लगते है, लेकिन इंदिरा सरकार और मोदी सरकार के बीच एक बड़ा फर्क यह है कि मोदी के पास राज्यसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं।

Violence in Bengal: चुनाव बाद हिंसा पर एनएचआरसी टीम ने बम विस्फोट को लेकर बंगाल सरकार की खिंचाई की

https://www.jagran.com/west-bengal/kolkata-violence-in-bengal-nhrc-team-pulls-up-bengal-government-over-bomb-blast-on-post-poll-violence-21816405.html

बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच कर रही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) टीम के सदस्य व राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष आतिफ रशीद ने मुर्शिदाबाद जिले में हाल में एक घर पर हुए बम विस्फोट की घटना को लेकर बंगाल सरकार की खिंचाई की है। उन्होंने दावा किया कि उनके पास मुर्शिदाबाद में हाल में हुए एक बम विस्फोट की घटना की एफआइआर संख्या है।

उन्होंने कहा- 'चार दिन पहले मुर्शिदाबाद में एक घर पर विस्फोट की घटना की सूचना मिली है। मुझे नहीं लगता कि चुनाव आयोग चार दिन पहले था।इसकी एक प्राथमिकी दर्ज की गई है और मेरे पास इसकी संख्या है। मुख्यमंत्री को जाकर देखना चाहिए कि जब राज्य में चुनाव आयोग नहीं था तो यह कैसे हुआ।'

गौरतलब है कि बंगाल सरकार ने दावा किया था कि बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की घटनाएं उस समय बेरोकटोक थी, जब चुनाव आयोग के हाथ में कानून और व्यवस्था की पूरी मशीनरी थी। इसी को लेकर अब जांच टीम के सदस्य ने राज्य सरकार की खिंचाई की है। टीम के सदस्य रशीद ने बुधवार व गुरुवार को मुर्शिदाबाद और मालदा जिले का दौरा कर हिंसा की शिकायतों की पड़ताल की।

गुरुवार को उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि पुलिस भी लोगों को तंग कर रही है, इसको लेकर उन्होंने मुर्शिदाबाद के एसपी से भी बात की। रशीद ने कहा कि मालदा में ज्यादा शिकायत नहीं मिली लेकिन मुर्शिदाबाद में काफी ज्यादा मामले हैं। पीड़ितों ने हमें बताया कि एनएचआरसी टीम से वह शिकायत नहीं कर सकें, इसके लिए भी पुलिस ने उनको धमकाया। दो दिनों से यह सुनिश्चित किया जा रहा था कि वे हमसे ना मिल सकें, उनको रोकने की हर कोशिश हुई है। आतिफ रशीद ने कहा कि पीड़ितों के साथ हुए उत्पीड़न को ध्यान में रखते हुए, हमने एसपी और डीएम से कहा कि पीड़ितों के साथ कुछ भी गलत हुआ तो उसकी जवाबदेही आपकी होगी।

PRABHAT KHABAR, Jamshedpur, 10.7.2021
Page No. 12, Size:(14.60)cms X (8.56)cms.

मानवाधिकार आयोग ने पूर्व डीएसपी पर लगे आरोप पर छह सप्ताह में रिपोर्ट मांगी

- नाबालिग से मजदूरी कराने, हत्या व लॉकडाउन के उल्लंघन का आरोप
- श्रम आयुक्त और पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त व एसएसपी को दिया आदेश

गालूडीह. सामाजिक संस्था भारतीय प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश महतो की शिकायत पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग दिल्ली ने पूर्व डीएसपी कीर्ति नारायण मिश्रा के खिलाफ छह सप्ताह में प्रतिवेदन समर्पित करने का आदेश झारखंड के श्रम आयुक्त और पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त व वरीय पुलिस अधीक्षक को दिया है. विदित हो कि पूर्व डीएसपी कीर्ति नारायण मिश्रा के खिलाफ लॉकडाउन का उल्लंघन, नाबालिग बच्चों से काम कराने व 15 वर्षीय नाबालिग की हत्या का आरोप है. इस पर आयोग ने संज्ञान लेकर कार्रवाई का आदेश दिया है. घटना 24 मई 2021 की है. घाटशिला के ठाकुरबारी मार्ग पर डीएसपी कीर्ति नारायण मिश्रा का पेट्रोल पंप बन रहा था. उसी समय काम के दौरान दीवार गिरने से 15 वर्षीय वर्षा हांसदा नामक मजदूर की मौत हो गयी थी. वहीं अन्य सात मजदूरों को चोट लगी थी. घटना के बाद काफी हंगामा हुआ था. घटना की जानकारी जिला प्रशासन को मिली थी. संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि उक्त घटना में एक मासूम नाबालिग की जान गयी. उसके दोषियों को सजा दिलाये बिना संस्था शांति से नहीं बैठेगी.

DAINIK BHASKAR, BOKARO, 10.7.2021
Page No. 5, Size:(13.22)cms X (8.63)cms.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भेजा पत्र

बेरमो| विस्थापित संघर्ष समन्वय समिति के महासचिव काशीनाथ केवट ने भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को त्राहिमाम पत्र प्रेषित किया है। जिसमें पुरनाटांड़ के विस्थापितों के साथ हो रहे अत्याचार से अवगत कराया। लिखा है कि झारखंड राज्य में स्थित सीसीएल के कारो एवं अमलो परियोजना के लिए रैयतों की जमीन अधिग्रहित किए 40 साल हो गए। लेकिन अभी तक रैयतों को उनका वाजिब हक-अधिकार नहीं मिला। उन्होंने कहा कि प्रबंधन की ओर से वास्तविक रैयतों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया है। रैयतों के जीविकोपार्जन का एकमात्र जरिया जमीन है। उसे भी बल पूर्वक छीन लिया गया और उनके जीविकोपार्जन का कोई व्यवस्था नहीं किया गया।

PIONEER, Bhubaneswar, 10.7.2021
Page No. 2, Size:(10.03)cms X (15.46)cms.

Boy hurt playing near unfenced transformer

NHRC asks Govt to pay ₹2L to victim

PNS ■ BHAWANIPATNA

The National Human Rights Commission (NHRC) has asked the Odisha Chief Secretary to submit a report on why a compensation of Rs 2 lakh was paid to a victim, who was injured due to the negligence of the Energy Department in Kalahandi district.The NHRC asked the report to be submitted within four weeks. The commission passed the order taking cognisance of a petition filed by a Bhawanipatna-based human rights activist Dilip Kumar Das, who had sought justice for the victim, a nine-year-old boy Ritesh Kumar. In his petition, Das alleged that Ritesh while playing cricket at a ground near the Durga Mandap in Biswanathpur in the district on July 11, 2020, went to fetch the ball from near an unfenced electrical transformer. But he came in contact with a live wire accidentally and suffered severe burn injuries. He was rushed to Bisamcuttack hospital in a critical condition.

The Wesco replied that due to his fault, the boy was injured as he carelessly climbed the plinth of a 100 KVA transformer to collect the ball which caused the non-fatal mishap.

But the NHRC dismissed the Wesco explanation saying neither the transformer had any fence nor it had signage of danger, which led to the accident and directed to pay compensation of Rs 2 lakh to the victim.